

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्रांक संख्या:- 535 / गृहकर / 2025-26

दिनांक:- 16.10.2025

कैटीन / साइकिल / वाहन स्टैण्ड का ठेका उठाने हेतु नीलामी की सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सम्भल के वर्ष 2025-26 (नवम्बर 2025 से 31.03.2026 तक) हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार किराये पर लेने हेतु नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक:- 04.11.2025 दिन ~~अंगारवार~~ ^{शुक्रवार} समय पूर्वान्ह 12:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जायेगी।

कार्य / नीलामी का विवरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सरकारी बोली प्रारम्भ	बोली / नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति हेतु पंजीकरण शुल्क	जमानत धनराशि
1	चौधरी सराय चौराहा पर स्थित कैटीन की नीलामी	2,80,000 / -रुपये	12,500 / -रुपये	2,50,000 / -रुपये
2	सदभावना पार्क / मनोकामना रोड में स्थित कैटीन की नीलामी।	53,000 / -रुपये	5,000 / -रुपये	50,000 / -रुपये
3	नगर पालिका परिसर में साइकिल / वाहन स्टैण्ड का ठेका पार्किंग शुल्क की नीलामी।	2,90,000 / -रुपये	5,000 / -रुपये	1,00,000 / -रुपये

नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य शर्तें।

1-जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

2-पंजीकरण शुल्क।

3-जमानत धनराशि।

4-आधार कार्ड।

5-पैन कार्ड।

6-नगर पालिका परिषद, सम्भल से निर्गत अदेय प्रमाण पत्र।

7-बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा दस रुपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

शेष शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1- बोली / नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियत दिनांक:- 03.11.2025 समय अपरान्ह 05:00 बजे तक जमानत धनराशि (डीडी0/नकद) जमा करनी होगी। किन्तु पंजीकरण शुल्क वापस नहीं हागी। पंजीकरण शुल्क / जमानत धनराशि चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी।

2- पंजीकरण कराने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली / नीलामी में भाग ले सकता है।

3- नीलामी ठेका स्वीकृति के उपरान्त कम संख्या:- 1 से 3 तक के कार्य हेतु उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा कराना होगा। शेष धनराशि माह 04.11.2025 के प्रथम सप्ताह में जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

4- यदि किसी की बोली नहीं छुटती है तब ऐसी स्थिति में जमानत धनराशि चैक के माध्यम से वापस की जायेगी।

5- कैटीन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, सम्भल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुए बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6- कैटीन में कोई भी क्षति होने पर उस धनराशि की वसूली जमानत धनराशि से की जायेगी।

7- विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद-सम्भल का होगा।

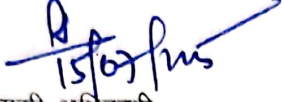
8- नगर पालिका परिषद, सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष / सभासद व इनके परिजनों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

9- कैटीन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया जायेगा जिससे जन सामान्य की धार्मिक भावना आहत होती हो।

10-कोविड-19 या किसी अन्य कारण से सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन कैटीन संचालन पर रोक लगाने की दशा में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

- 11- नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 4 प्रतिशत स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।
12- शर्तें पूर्ण न करने पर नगर पालिका परिषद, सम्मल के सक्षम अधिकारी को नीलामी ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नगर पालिका परिषद सम्मल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवरण, शर्तें देखी जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती



अधिकासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, सम्मल

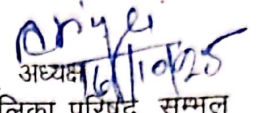
पत्र संख्या एवं दिनांक-तैदव।

प्रतिलिपि:-

1-सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र,

से कम व्यय पर एक बार प्रकाशन हतु।

2-नगर पालिका परिषद, सम्मल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर अपलोड करने हेतु।



अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्मल

अधिकासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, सम्मल

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, सम्मल